



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024/514

दर्ज तिथि:-20.11.2024

1. हेती पुत्री धोंकला पत्नी चेनाराम
जाति भील निवासी बेरीगांव हाल निवासी नया नगर तहसील गुडामालानी।
2. जोरो पुत्री धोंकला पत्नी मानाराम
जाति भील निवासी बेरीगांव हाल निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
.....प्रार्थी

बनाम

1. करनाराम पुत्र धोकलाराम
2. दीपा पुत्र धोकलाराम
3. सुआदेवी पत्नी प्रहलादराम
4. सुवटी पत्नी भगाराम निवासी बेरीगांव
5. गीगी देवी पद्यत्नी आसुराम निवासी गुडामालानी
6. अनरी देवी पत्नी केवाराम
7. केतूदेवी पत्नी भगराम
8. गोमती देवी पत्नी भगाराम
9. केवा पुत्र कमा
10. कस्तुरा पुत्र कमा
11. केसा पुत्र कालूराम
12. गोरखा पुत्र पता
13. जाला पुत्र पता
14. जोरा पुत्र पदमा
15. झमकुदेवी पत्नी सताराम
16. ढफीदेवी पत्नी नरसीराम
17. तगा पुत्र कमा
18. तुलछी पत्नी सवा
19. पूनमाराम पुत्र कालुराम
20. पार्वती पत्नी कृष्ण फौत के कायम मुकाम
21. भंवराराम पुत्र कालूराम
22. मका पुत्र भारमल
23. मगा पुत्र पदमा
24. मेहरा पुत्र पदमा



25. मांगा पुत्र कृष्ण
26. मोहन पुत्र कृष्ण
27. मोहन पुत्र कमा
28. रूपा पुत्र कमा
29. लक्ष्मीदेवी पत्नी कालुराम फौत के कायम मुकाम
30. वजा पुत्र कमा
31. वाला पुत्र सवा
32. सगताराम पुत्र कालूराम
33. सूजा पुत्र पता
34. सुन्दर पत्नी पताराम
35. सोरमदेवी पत्नी सांवलाराम
36. अणदु पुत्री वागाराम
37. अणसी पुत्री वागाराम
38. कमला पत्नी मगाराम
39. कोशलाराम पुत्र तगाराम
40. गुलाबीदेवी पत्नी तगाराम
41. गोर्धन पुत्र ठाकरा
42. जगदीश पुत्र ठाकरा
43. तुलछा पुत्र अजा
44. दूदाराम पुत्र कलाराम
45. देशू पत्नी रणछोड़ा
46. नगा पुत्र अजा
47. पना पुत्र रणछोड़ा
48. फगलु पुत्र बीजला
49. बाजू पत्नी ठाकरा
50. भंवराराम पुत्र तगाराम
51. मफा पुत्र अजा
52. मेरा पत्र कमा
53. मूलाराम पुत्र वागाराम
54. माया पुत्री वागाराम
55. मोतीराम पुत्र वागाराम
56. रमेश पुत्र अजा
57. वस्ता पुत्र ठाकरा
58. सुखराम पुत्र कानाराम
59. सताराम पुत्र कलाराम
60. सुरता पुत्र बीजला
61. सरवन पुत्र कलाराम
62. सीता पत्नी अजा
63. हलीदेवी पत्नी कलाराम
64. हरजीराम पुत्र कमूराम
65. रूखमो पत्नी पदमा
66. हडमान पुत्र कमा

सत्यमेव जयते

जाति भील निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

67. हेमीबेन पत्नी अखाजी जाति भील निवासी राधनपुर तहसील व जिला राधनपुर
68. मैनेजर भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
69. मैनेजर एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
70. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार गुड़ामालानी।

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री हरीश चौधरी

अप्रार्थी:- एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212

राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

—:निर्णय:—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी आराजी मौजा गादेवी पटवार मंडल बांटा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी आराजी वादीगण के पिता धोंकला के नाम वक्त बंदोबस्त से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी आराजी पर विधि के सारभूत आधारों पर वादीगण की खातेदारी की घोषणा हेतु प्रार्थीगण द्वारा घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान अप्रार्थी प्रार्थी/वादी के उक्त कानूनी हकों के विपरीत जाकर उक्त सहदायिकी सम्पत्ति को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण के हकों पर नकारात्मक असर होगा। इस प्रकार दौरान-ए-वाद उक्त आराजी पर रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। समस्त अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामिल हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रार्थी की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिप्रार्थी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी का बैचान करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
3. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 के प्रावधान का प्रकरण में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार है-

212. Provision for injunction and appointment of a receiver—

(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise —

(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or

(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of Justice, the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.

(2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under subsection (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceedings is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be.

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-39 नियम-01 व 02 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये हैं। जिनका उद्धरण इस प्रकार है:-

ORDER XXXIX

TEMPORARY INJUNCTIONS AND INTERLOCUTORY ORDERS

Temporary injunctions

1. Cases in which temporary injunction may be granted.—

Where in any suit it is proved by affidavit or otherwise—

(a) that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree, or

(b) that the defendant threatens, or intends, to remove or dispose of his property with a view to [defrauding] his creditors,

(c) that the defendant threatens to dispossess, the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit,

the Court may by order grant a temporary injunction to restrain such act, or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property or dispossession of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit] as the Court thinks fit, until the disposal of the suit or until further orders.

2. Injunction to restrain repetition or continuance of breach.—

(1) In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may, at

any time after the commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the Court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right.

(2) The Court may by order grant such injunction, on such terms as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security, or otherwise, as the Court thinks fit.

5. साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-39 नियम-04 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये हैं। जिनका उद्धरण इस प्रकार है:-

4. Order for injunction may be discharged, varied or set aside.—Any order for an injunction may be discharged, or varied, or set aside by the Court, on application made thereto by any party dissatisfied with such order:

Provided that if in an application for temporary injunction or in any affidavit supporting such application, a party has knowingly made a false or misleading statement in relation to a material particular and the injunction was granted without giving notice to the opposite party, the Court shall vacate the injunction unless, for reasons to be recorded, it considers that it is not necessary so to do in the interests of justice:

Provided further that where an order for injunction has been passed after giving to a party an opportunity of being heard, the order shall not be discharged, varied or set aside on the application of that party except where such discharge, variation or setting aside has been necessitated by a change in the circumstances, or unless the Court is satisfied that the order has caused undue hardship to that party.

6. उपरोक्त विधिक प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-39 नियम-01 व नियम-02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।
7. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को विधि के सारभूत आधारों पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी के पिता धोंकला की दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी आराजी में अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। परंतु प्रार्थीगण यह स्पष्ट करने में असफल रहे हैं कि किस आधार पर या किस विधि/प्रावधान के अनुसार वादीगण अपने पिता धोंकला तथा अपने भाईयों के नाम

दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी आराजी पर पिता के जीवित रहते खातेदारी अधिकार रखने का प्रकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण भील समुदाय से संबंधित है। भील अनुसूचित जनजाति समुदाय का हिस्सा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 अनुसूचित जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 प्रार्थीगण पर लागू नहीं होता है। इस कारण प्रार्थीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर जन्म से अधिकार नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण में विचारणीय विवाद का बिंदू स्पष्ट करने में असफल रहे हैं।

8. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया प्रकरण में विचारणीय विवाद का बिंदू स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही प्रार्थीगण के हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान-ए-वाद प्रथमदृष्टया प्रकरण में विचारणीय विवाद का बिंदू नहीं बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है।
9. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया प्रकरण में विचारणीय विवाद का बिंदू स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही प्रार्थीगण के हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान-ए-वाद प्रथमदृष्टया प्रकरण में विचारणीय विवाद का बिंदू नहीं बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को सुविधा होना स्पष्ट है। परंतु प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा होना स्पष्ट है। प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रार्थी अपना प्रकरण व विचारणीय बिंदू स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। साथ ही वर्तमान में अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी आराजी के दर्ज रिकॉर्ड खातेदार हैं। किसी खातेदार को बिना प्रकरण व विचारणीय बिंदू के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने से निश्चित रूप से अधिक असुविधा होना स्पष्ट है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को होने वाली सुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।
10. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट नहीं होने, फलस्वरूप प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत नहीं होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को होने वाली सुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

**प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अस्वीकार किया जाता है।**

आज 10.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाडमेर



सत्यमेव जयते